राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांकः प.8 (ग) नियम/डीएलबी/2021/डी– जयपुर, दिनांक : 24 NOV 2021

आदेश

राज्य सरकार के यह ध्यान में आया है कि प्राधिकरण/नगर निगम/परिषद/पालिकाओं की अनुमोदित योजनाओं में आवंटी की मूल पत्रावली अथवा प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021 में आवेदक द्वारा अभियान में अपने कार्य हेतु मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने के पश्चात संधारित मूल दस्तावेजों की पत्रावली गुम/कार्यालय में अप्राप्त होने के कारण संबंधित नगर निकायों द्वारा ऐसे आवेदकों के अभियान से संबंधित कार्य नहीं किये जा रहे हैं। आमजन को हो रही असुविधा के निराकरण हेतु इस संबंध में निम्न प्रक्रिया निर्धारित की जाती हैः–

1. प्राधिकरण/नगर निगम/परिषद/पालिकाओं के कार्यालय में संधारित की जाने वाली पत्रावली गुम हो जाने पर प्रभारी अधिकारी एवं संबन्धित कार्मिक द्वारा पत्रावली के अन्तिम मूवमेन्ट के आधार पर पत्रावली की खोज की जाये।
2. शाखा के प्रभारी अधिकारी द्वारा कार्यालय की शेष सभी शाखाओं को पत्रावली का क्रमांक एवं विषय आदि अंकित करते हुये खोज पत्र जारी कर प्रत्युत्तर प्राप्त किया जाये। प्राप्त प्रत्युत्तरों के आधार पर एवं प्रर्याप्त प्रयास के पश्चात भी यदि पत्रावली उपलब्ध नहीं होती है तो प्राधिकरण के प्रकरणों में सचिव, नगर विकास न्यास के प्रकरणों में सचिव एवं नगर निगम/परिषद/पालिका के प्रकरणों में आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी से गुम पत्रावली का अनुपलब्धता प्रमाण–पत्र जारी करने एवं दूसरी पत्रावली गठन करने की अनुमति शाखा प्रभारी द्वारा खोज पत्र/पत्रावली पर प्राप्त की जाये।
3. मूल पत्रावली खो जाने पर दूसरी पत्रावली का गठन निम्न प्रकार किया जाये :–
   - 3.1 रक्षित पत्रावली के आधार पर अतिरिक्त प्रतियों से पत्रावली का पुनर्निर्माण किया जाये।
   - 3.2 यदि रक्षित पत्रावली पुराने अभिलेखों के संबन्ध में संधारित नहीं हो तो उस शाखा से जहां आदेशों की प्रतियां पृष्ठांकित की गई है, दूसरी पत्रावली पुनर्निर्माण हेतु परिवादी से मूल प्रतियां प्राप्त की जायें जिन्हें संबंधित शाखा प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रमाणित सत्य प्रतियां उपलब्ध कराई जायेंगी।
   - 3.3 यदि क्रमांक 3.1 एवं 3.2 के अनुसार अभिलेख/पत्र व्यवहार उपलब्ध नहीं हो तो शाखा प्रभारी अधिकारी द्वारा संबन्धित परिवादी से दस्तावेजों की फोटोकॉपी प्राप्त कर, परिवादी के पास उपलब्ध मूल पत्रों से मिलान कर दस्तावेज सत्यापित करेंगे।
4. प्रार्थी से रू. 50 के नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ–पत्र प्राप्त कर खोली जा रही नई पत्रावली में रखा जायेगा। प्रारूप परिशिष्ठ–1 पर संलग्न है।
5. उपरोक्त प्रकार से आवेदक की दूसरी पत्रावली का गठन कर आवेदक के लम्बित आवेदन पत्र का निस्तारण किया जायेगा।

6. पत्रावली के पुनर्निर्माण पश्चात, परिवादी के आवेदन का निस्तारण करते समय, विशेषकर जहां नगर निकाय का वित्तीय हित प्रभावित हो रहा हो, वहां पूर्ण सावधानी बरतते हुए समान मामलों में लिये गये निर्णय को दृष्टिगत रखकर ही कार्यवाही की जाये। जहां तक संभव हो प्रतिलिपियों की जांच स्थानीय निकाय की विभिन्न शाखाओं में उपलब्ध उपयुक्त रिकॉर्ड के आधार पर की जाये।
7. खोई हुई पत्रावली के प्रकरणों में संबंधित शाखा प्रभारी अधिकारी द्वारा समानान्तर प्रारम्भिक जांच कर संबंधित कार्मिक का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाकर जॉच प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी यथा प्राधिकरण के प्रकरणों में सचिव, नगर विकास न्यास के प्रकरणों में सचिव एवं नगर निगम/परिषद/पालिका के प्रकरणों में आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी को प्रस्तुत किया जावेगा, जिनके द्वारा संबंधित कार्मिक के विरूद्ध सेवा नियमों के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
8. खोई हुई पत्रावली के संबंध में की गयी प्राथमिक जॉच के आधार पर शाखा प्रभारी अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र के स्थानीय पुलिस थाने में पत्रावली गुम होने की प्राथमिकी दर्ज करवायी जायेगी।
9. पत्रावली गुम होने की सूचना प्राप्त होते ही शाखा प्रभारी अधिकारी द्वारा उपरोक्त कार्यवाही अधिकतम **15 दिवस** में पूर्ण की जायेगी।
10. भविष्य में सभी निकायों द्वारा सुदृढ कम्प्यूटरीकृत प्रणाली अपनाकर पत्रावलियों का संधारण किया जायेगा।

उपरोक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं।

24/11/2021

(नवनीत कुमार)
संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय

(दीपक नन्दी)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मांननीय मुख्यमंत्री महोदय,राजस्थान।
2. विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ठ सचिव, सलाहकार महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. आयुक्त जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, राजस्थान।
7. जिला कलेक्टर, (समस्त) राजस्थान।
8. सचिव, नगर विकास न्यास, (समस्त) राजस्थान।
9. समस्त उप–निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय, राजस्थान।
10. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिकायें समस्त राजस्थान।
11. जनसम्पर्क अधिकारी निदेशालय को प्रकाशन करवाने हेतु।
12. प्रभारी अधिकारी मॉनिटरिंग सेल को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
13. रक्षित पत्रावली।

24/11/2021

(नवनीत कुमार)
संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय

प्रारूप
परिशिष्ठ–1

शपथ–पत्र

1. मैं/हम ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी ..... निवासी..... तहसील..... जिला..... राजस्थान शपथपूर्वक बयान करता/करते हूं/हैं कि भूखण्ड संख्या ..... क्षेत्रफल ..... निकाय योजना/सहकारी समिति/निजी खातेदारी की योजना ..... के संबन्ध में निकाय ..... में पत्रावली उपलब्ध नहीं होने के कारण मेरे/हमारे द्वारा संबन्धित दस्तावेजों की फोटो प्रतियां प्रस्तुत की गई हैं। इनमें से जो दस्तावेज मेरे/हमारे..... पास उपलब्ध है इन दस्तावेजों के आधार पर डुप्लीकेट पत्रावली खोलकर इस भू–खण्ड से संबन्धित पट्टा/नाम हस्तान्तरण/एक मुश्त लीज/उपविभाजन/पुनर्गठन/ फ्री–होल्ड पट्टा अथवा ..... इत्यादि जारी करने बाबत् है।
2. मेरी/हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सही हैं। भविष्य में कभी भी मेरे/हमारे दस्तावेज असत्य पाये जाने पर समस्त कार्यवाही के लिये मेरा/हमारा उत्तरादायित्व होगा। मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज झूठे साबित होने पर इन दस्तावेजों के आधार पर की गयी समस्त कार्यवाही स्वतः ही निरस्त मानी जावे तथा नगर निकाय को मेरे/हमारे विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने का सम्पूर्ण अधिकार होगा।

सत्यापनकर्ता

सत्यापन

मैं/हम शपथग्रहिता सत्यापित करता हूँ/करते हैं कि उपरोक्त शपथ–पत्र में वर्णित सम्पूर्ण कथन 1 से 2 मेरी/हमारी निजी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही एवं सत्य हैं मैंने/हमने इसमें कुछ भी नहीं छिपाया है। ईश्वर मेरी/हमारी मदद् करे।

सत्यापनकर्ता

प्रमाणित नोटेरी पब्लिक

(रू 50/– के नान ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर)